न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 71/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,बालोतरा		विशनाराम पुत्र दलाराम जाति खटीक निवासी नीलम सिनेमा के पास,बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पूनमसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्राथी की ओर से।

निर्णय दिनांक 02.05.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2007 को प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा सुरेशदत्त पुरोहित द्वारा वार्ड संख्या 24 मदर टेरेसा स्कूल बालोतरा उचित मूल्य की दुकान पर पहुॅचने पर एसएचओ मय जाब्ता उपस्थित मिले। मौके पर 50–50 लीटर के दो जरीकेन केरोसीन के मिले। मौतबिरान के रूबरू जरीकेन मे भरे हुए पदार्थ को चैक किया व सुंधा गया तो केरोसीन पाया गया। राशन विक्रेता विशनाराम द्वारा नियमो की कानूनन पालना नहीं करते हुए चोरी छिपे नियंत्रित केरोसीन को कालाबाजारी में बेचने की नियत से मौके पर पकड़ा गया,दुकानदार द्वारा राजस्थान खाधान्न एंव आवश्क पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976एंव पीडीएस कन्ट्रोल आदेश 2001का उल्लंघन करने के फलस्वरूप प्रार्थी ने 50–50 लीटर नीला केरोसीन मय दो जरीकेन बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर इस प्रकरण में न्यायालय के फैसले के पश्चात अब धारा 6 ए के तहत कार्यवाही करना वांछनीय नहीं होने से एव बरामद केरोसीन अप्रार्थी का नहीं होने से केरोसीन को नष्ट किया जाने में कोई एतराज नहीं होना बताया।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम,बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा नीले रंग का केरोसीन कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैध रूप से संग्रह किया गया। यह केरोसीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर एंव मात्रा के आधार पर ही बेचा जाता है। वक्त बरामदगी अप्रार्थी के पास केरोसीन रखने एंव परिवहन करने का कोई वैध

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लाइसेंस एंव परमिट नहीं पाया गया। इसलिये बरामद केरोसीन व केरोसीन के उपयोग में लिये गये वाहन को जब्त सरकार किया जाए।

4. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा ने निर्णय दिनांक 23.06.2016 द्वारा अप्रार्थी को दोष मुक्त करार दिया है। प्रार्थी द्वारा बरामद केरोसीन अप्रार्थी का नहीं है। बरामद केरोसीन से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केरोसीन जब्त किया जाता है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है। इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए आवश्यक अधिनियम की कर्यवाही समाप्त की जाए।

5. हमने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से दिनांक 28.03.2007 को 50–50 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय दो जरीकेन बरामद किया गया है। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अवगत कराया कि यह केरोसीन उनका नहीं, और केरोसीन जब्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है। बरामद नीला केरोसीन उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से वार्ड के उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है एक साथ इतना केरोसीन उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नहीं बेचा जाता है एंव केरोसीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर एंव मात्रा के आधार पर ही वार्ड के उपभोक्ताओ को वितरित किया जाता है मगर राशन विक्रेता अप्रार्थी द्वारा नियमो की पालना नहीं करते हुए चोरी छिपे नियंत्रित केरोसीन को कालाबाजारी में बेचने की नियत से मौके पर बरामद किया गया है, प्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान खाधान्न एंव आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एंव सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघ्झान है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 50–50 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय दो जरीकेन जब्त सरकार करने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से बरामद 50–50 लीटर नीले रंग का केरोसीन मय दो जरीकेन राजसात (CONFISCATE) किया जाता है। चूँकि बरामद केरोसीन मय दो जरीकेन का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि रूपये 1956/–राज्य कोष में जमा हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर